

# हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा

## कार्यसूची

### पंचम सत्र

शनिवार, 16 फरवरी, 2019/27 माघ, 1940(शक्)

11.00 बजे (पूर्वाह्न)

#### 1. प्रश्नोत्तर:

##### (1) तारांकित :

दिन के लिए } पृथक सूची में मुद्रित प्रश्न पूछे जाएंगे तथा उनके उत्तर दिए जाएंगे ।

##### (2) अतारांकित :

दिन के लिए } पृथक सूची में मुद्रित प्रश्नों के उत्तर सभा पटल पर रखे जाएंगे ।

#### 2. कागज़ात सभा पटल पर रखे जाएंगे :

(1) श्री जय राम ठाकुर, मुख्य मन्त्री, निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखेंगे:-

- (i) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश कार्मिक विभाग (सचिवालय प्रशासन), पुस्तकालयाध्यक्ष, वर्ग-III (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2019 जोकि अधिसूचना संख्या:पर (एस ए एस-I) ए (3)-1/2016 दिनांक 24.01.2019 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 05.02.2019 को प्रकाशित;
- (ii) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश सड़क एवं अन्य संरचना विकास निगम सीमित, शिमला का 19वां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2017-18; और

- (iii) हिमाचल प्रदेश आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 की धारा 70 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के द्वितीय वार्षिक लेखे एवं लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, वर्ष 2017-18 ।
- (2) श्री किशन कपूर, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मन्त्री, कम्पनी अधिनियम, 2003 की धारा 395(1) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम सीमित का 37वां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2016-17 की प्रति सभा पटल पर रखेंगे ।
- (3) श्री सुरेश भारद्वाज, शिक्षा मन्त्री, हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के अधिनियम, 1968 की धारा 15(1) और (4) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड, धर्मशाला का वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन एवं लेखा विवरण वर्ष 2017-18 (1.4.2017 से 31.3.2018 तक) की प्रति सभा पटल पर रखेंगे ।
- (4) श्री विपिन सिंह परमार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्री, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश आयुर्वेद विभाग, संयुक्त निदेशक, वर्ग-I (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2018 जोकि अधिसूचना संख्या:आयु0-बी0 (7)-2/2013 दिनांक 18.06.2018 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 23.07.2018 को प्रकाशित की प्रति सभा पटल पर रखेंगे ।

### 3. सदन की समितियों के प्रतिवेदन:

- (1) श्रीमती आशा कुमारी, सभापति, लोक लेखा समिति, (वर्ष 2018-19), समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगी तथा सदन के पटल पर रखेंगी :-
- (i) समिति का 43वां मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2009-10 (राज्य के वित्त/सामाजिक सामान्य एवं आर्थिक क्षेत्रों) पर आधारित तथा ग्रामीण विकास विभाग से सम्बन्धित है;
- (ii) समिति का 44वां मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2010-11(राज्य के वित्त) पर आधारित तथा ग्रामीण विकास विभाग से सम्बन्धित है;

- (iii) समिति का 45वां मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2011-12 (राज्य के वित्त) पर आधारित तथा **ग्रामीण विकास विभाग** से सम्बन्धित है;
  - (iv) समिति का 46वां मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2012-13 (राज्य के वित्त/सामाजिक सामान्य एवं आर्थिक क्षेत्रों) पर आधारित तथा **ग्रामीण विकास विभाग** से सम्बन्धित है;
  - (v) समिति का 47वां मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2014-15 (राज्य के वित्त) पर आधारित तथा **श्रम एवं रोजगार विभाग** से सम्बन्धित है; और
  - (vi) समिति का 48वां कार्रवाई प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 375वें मूल प्रतिवेदन (नवम् विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **वन विभाग** से सम्बन्धित है ।
- (2) **श्री सुरेश कुमार कश्यप, सभापति, सामान्य विकास समिति, (वर्ष 2018-19),** समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे:-
- (i) समिति का **ग्यारहवां मूल प्रतिवेदन** (तेरहवीं विधान सभा) जोकि **आवास विभाग** से सम्बन्धित आश्वासन के कार्यान्वयन पर आधारित है; और
  - (ii) समिति के 15वें मूल प्रतिवेदन (ग्यारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2009-10) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना पंचम् कार्रवाई प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2013-14) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित **अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण** जोकि **शहरी विकास विभाग** से सम्बन्धित है ।

#### 4. सांविधिक ईकाई हेतु मनोनयन :

**श्री सुरेश भारद्वाज, शिक्षा मन्त्री,** निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे कि:-

- (1) "That in pursuance of Section 23(1) (j) of the Sardar Vallabhbhai Patel Cluster University Act, two members of the State Legislative Assembly, are to be elected by the State Legislature for the term of the two years in the Governing Body of the University commencing from the date of publication of their name being as Members of the Governing Body of the Sardar Vallabhbhai Patel University Mandi in the Rajpatra in the manner prescribed by the Hon'ble Speaker."

- (2) "That in pursuance of Section 18(f) of the Private Universities Act and Section 17(1) of the First Statutes of the Private Universities Act, two members of the State Legislative Assembly, are to be elected by the State Legislature for the term of two years in the Governing Body of 14 Private Universities, for a term of two years commencing from the date of publication of their being as Members of the Governing Body of the Private University subject to provisions of the First Statutes of the Private Universities."

Sr. No.	Name of the University
1.	Arni University, Kathgarh, Indora(Kangra)
2.	Shoolini University of Biotechnology & Management Sciences, Bajhol, District Solan
3.	IEC University Kallujhanda, Barotiwala, District Solan.
4.	Baddi University of Emerging Science & Technologies, Bhud, Baddi(Solan)
5.	Chitkara University, Kallujhanda, Barotiwala, District Solan.
6.	Bhara University, Wagnaghat, District Solan
7.	Manav Bharti University, Village Sultanpur, District Solan.
8.	Career Point University, Tikker Kharwarian(Bhoranj), District Hamirpur, H.P.
9.	Sri Sai University Palampur(Kangra)
10.	APG Shimla University, Panthaghati, Shimla
11.	Indus International University, VPO Bathu, District Solan
12.	Eternal University, Baru Sahib, District Sirmour
13.	Mharishi Markandeshwar, University, Kumarhatti, Solan
14.	Abhilashi University, Chailchowk, Tehsil Chachiot, District Mandi

## 5. विधायी कार्य :

### सरकारी विधेयकों पर विचार-विमर्श एवं पारण

- (i) श्री जय राम ठाकुर, मुख्य मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश राजभाषा अधिनियम, 1975 (1975 का अधिनियम संख्यांक 1) का संशोधन करने के लिए हिमाचल प्रदेश राजभाषा (संशोधन) विधेयक, 2019 (2019 का विधेयक संख्यांक 4) विधेयक पर विचार किया जाए।  
वे यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाए।
- (ii) श्री जय राम ठाकुर, मुख्य मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि कतिपय विनियोग अधिनियमों का निरसन करने के लिए हिमाचल प्रदेश विनियोग अधिनियम(निरसन) विधेयक, 2019 (2019 का विधेयक संख्यांक 6) विधेयक पर विचार किया जाए।  
वे यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाए।
- (iii) श्री विपिन सिंह परमार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2019 (2019 का विधेयक संख्यांक 5) हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम संख्यांक 11) का संशोधन करने के लिए विधेयक पर विचार किया जाए।  
वे यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाए।
- (iv) श्री वीरेन्द्र कंवर, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश राज्य में गोजातीय वीर्य के उत्पादन के लिए गोजातीय प्रजनन बैलों के उपयोग, गोजातीय वीर्य के प्रसंस्करण, भण्डारण, विक्रय और वितरण तथा कृत्रिम गर्भाधान और गोजातीय के किसी अन्य प्रजनन क्रियाकलाप सहित गोजातीय प्रजनन क्रियाकलापों के विनियमन द्वारा गोजातियों के सुधार हेतु तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए हिमाचल प्रदेश गोजातीय प्रजनन विधेयक, 2019 (2019 का विधेयक संख्यांक 7) विधेयक पर विचार किया जाए।  
यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाए।

6. वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए बजट अनुमान:-

वर्ष 2019-20 के लिए बजट अनुमानों की अनुदान मांगों पर चर्चा एवं मतदान।

(अनुदान मांगें पृथक सूची में मुद्रित हैं)

(पृथक सूचियों में कटौती प्रस्ताव भी प्रस्तुत किए जाएंगे)

शिमला-171 004

दिनांक: 15 फरवरी, 2019

यशपाल शर्मा,

सचिव।

\*\*\*

(अनुपूरक कार्यसूची, यदि कोई हो, की भी जांच कर लें)

सूची सं0-1

# हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा

(स्वीकृत कटौती प्रस्ताव)

बजट अनुमान 2019-20 की अनुदान मांगों  
कटौती प्रस्ताव की सूचना

## मांग संख्या: 7- पुलिस और सम्बद्ध संगठन

<u>सदस्य का नाम</u>	<u>कटौती प्रस्ताव</u>	<u>मांग संख्या:</u>
	<u>नीति का अननुमोदन</u> कि शीर्ष के अन्तर्गत मांग “पुलिस और सम्बद्ध संगठन” की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाए।	7

1. श्री मुकेश अग्निहोत्री,
2. श्री राम लाल ठाकुर,
3. श्री सुन्दर सिंह ठाकुर,
4. श्री अनिरुद्ध सिंह,
5. श्री राकेश सिंघा ।

1. सरकार की वर्तमान कानून व्यवस्था की नीति का अननुमोदन ।
2. सरकार की वर्तमान अग्नि से संरक्षण तथा नियन्त्रण नीति का अननुमोदन ।
3. सरकार की पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की नीति का अननुमोदन ।

शिमला-171004.  
दिनांक 14.02.2019

सचिव,  
विधान सभा।

\*\*\*\*

# हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा

(स्वीकृत कटौती प्रस्ताव)

बजट अनुमान 2019-20 की अनुदान मांगें  
कटौती प्रस्ताव की सूचना

मांग संख्या: 8- शिक्षा

सदस्य का नाम	कटौती प्रस्ताव	मांग संख्या
--------------	----------------	-------------

नीति का अननुमोदन

8

कि शीर्ष के अन्तर्गत मांग

“शिक्षा”

की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाए।

1. श्रीमती आशा कुमारी,
2. श्री मुकेश अग्निहोत्री,
3. श्री हर्षवर्धन चौहान,
4. श्री नन्द लाल,
5. श्री जगत सिंह नेगी,
6. श्री राम लाल ठाकुर,
7. श्री अनिरुद्ध सिंह,
8. श्री राकेश सिंघा ।

1. सरकार की वर्तमान शिक्षा नीति का अननुमोदन ।
2. सरकार के शिक्षा संस्थानों के भवनों का रख-रखाव एवं निर्माण की नीति का अननुमोदन ।
3. सरकार द्वारा शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों के स्थानान्तरण की नीति का अननुमोदन ।
4. सरकार की निजी शिक्षण संस्थानों में फीस वृद्धि व खेल मैदान की नीति का अननुमोदन ।

शिमला-171004.

दिनांक 14.02.2019

सचिव,

विधान सभा ।

\*\*\*\*\*



# हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा

(स्वीकृत कटौती प्रस्ताव)

बजट अनुमान 2019-20 की अनुदान मांगें

कटौती प्रस्ताव की सूचना

मांग संख्या: 9 -स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

सदस्य का नाम	कटौती प्रस्ताव	मांग संख्या:
	<b>नीति का अननुमोदन</b> कि शीर्ष के अन्तर्गत मांग “स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण” की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाए।	<b>9</b>
1. श्री राम लाल ठाकुर, 2. श्री मुकेश अग्निहोत्री, 3. श्री जगत सिंह नेगी, 4. श्री हर्षवर्धन चौहान, 5. श्री अनिरुद्ध सिंह, 6. श्री राकेश सिंघा, 7. श्री आशीष बुटेल, 8. श्री सुन्दर सिंह ठाकुर ।	1. सरकार की वर्तमान स्वास्थ्य नीति का अननुमोदन। 2. सरकार की स्वास्थ्य संस्थानों में भर्ती नीति का अननुमोदन। 3. सरकार की स्वास्थ्य संस्थानों में उपकरणों/दवाईयों की क्रय नीति का अननुमोदन। 4. सरकार की स्वास्थ्य संस्थानों के रख-रखाव की नीति का अननुमोदन।	

शिमला-171004.  
दिनांक 14.02.2019

सचिव,  
विधान सभा ।

\*\*\*\*\*

# हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा

(स्वीकृत कटौती प्रस्ताव)

बजट अनुमान 2019-20 की अनुदान मांगें  
कटौती प्रस्ताव की सूचना

## मांग संख्या: 10 -लोक निर्माण-सड़क, पुल एवं भवन

सदस्य का नाम	कटौती प्रस्ताव	मांग संख्या
	<b>नीति का अननुमोदन</b>	<b>10</b>
	कि शीर्ष के अन्तर्गत मांग “लोक निर्माण-सड़क, पुल एवं भवन” की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाए ।	
1. श्री मुकेश अग्निहोत्री, 2. श्री जगत सिंह नेगी, 3. श्री हर्षवर्धन चौहान, 4. श्री राम लाल ठाकुर, 5. श्री मोहन लाल ब्राक्टा, 6. श्री अनिरुद्ध सिंह, 7. श्री लखविन्द्र सिंह राणा, 8. श्री राकेश सिंघा, 9. श्री राजेन्द्र राणा ।	1. सरकार की सड़कों, पुलों एवं भवनों के निर्माण, मरम्मत एवं रख-रखाव की नीति का अननुमोदन । 2. सरकार की मशीनरी तथा उपकरण क्रय एवं आबंटन की नीति का अननुमोदन । 3. सरकार की प्रत्येक पंचायत को सम्पर्क सड़कों से जोड़ने की नीति का अननुमोदन ।	

शिमला-171004.  
दिनांक 14.02.2019

सचिव,  
विधानसभा ।

\*\*\*\*

# हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा

(स्वीकृत कटौती प्रस्ताव)

बजट अनुमान 2019-20 की अनुदान मांगों  
कटौती प्रस्ताव की सूचना

## मांग संख्या: 11- कृषि

सदस्य का नाम	कटौती प्रस्ताव	मांग संख्या
	<p>1. <u>नीति का अननुमोदन</u></p> <p>कि शीर्ष के अन्तर्गत मांग “कृषि” की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाए।</p>	11
1. श्री मुकेश अग्निहोत्री, 2. श्री राम लाल ठाकुर, 3. श्री राजेन्द्र राणा, 4. श्री मोहन लाल ब्राक्टा, 5. श्री अनिरुद्ध सिंह, 6. श्री राकेश सिंघा ।	<p>1. किसानों के सुदृढीकरण की नीति का अननुमोदन । 2. सरकार की नई सब्जी मण्डियों के निर्माण की नीति का अननुमोदन । 3. सरकार की कृषि उत्पादन बढ़ाने की नीति का अननुमोदन । 4. सरकार की सूक्ष्म सिंचाई योजनाओं की नीति का अननुमोदन । 5. कृषि विश्वविद्यालय को सुदृढ करने की नीति का अननुमोदन ।</p>	

शिमला-171004.  
दिनांक 14.02.2019

सचिव,  
विधान सभा।

## हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा

(कटौती प्रस्ताव)

बजट अनुमान 2019-20 की अनुदान मांगें

कटौती प्रस्ताव की सूचना

मांग संख्या: 12 - उद्यान

सदस्य का नाम	कटौती प्रस्ताव	मांग संख्या:
--------------	----------------	--------------

नीति का अननुमोदन

12

कि शीर्ष के अन्तर्गत मांग

“उद्यान”

की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाए।

1. श्री मुकेश अग्निहोत्री,
2. श्री अनिरुद्ध सिंह,
3. श्री जगत सिंह नेगी,
4. श्री हर्षवर्धन चौहान,
5. श्री मोहन लाल ब्राक्टा,
6. श्री राकेश सिंघा,
7. श्री राजेन्द्र राणा ।

1. बागवानों के सुदृढीकरण की नीति का अननुमोदन ।
2. सरकार की अच्छे किस्म के रूट स्टॉक का आयात करने तथा पौध संरक्षण एवं औज़ार क्रय करने की नीति का अननुमोदन ।
3. सरकार की फल विधायन केन्द्र हेतु कच्चे माल की खरीद की नीति का अननुमोदन ।
4. सरकार की डा0 वाई0एस0 परमार औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय को सुदृढीकरण करने की नीति का अननुमोदन ।

शिमला-171004.  
दिनांक 14.02.2019

सचिव,  
विधान सभा।

\*\*\*\*\*

# हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा

(कटौती प्रस्ताव)

बजट अनुमान 2019-20 की अनुदान मांगों

कटौती प्रस्ताव की सूचना

मांग संख्या: 13 - सिंचाई, जलापूर्ति एवं सफाई

सदस्य का नाम	कटौती प्रस्ताव	मांग संख्या:
--------------	----------------	--------------

नीति का अननुमोदन

13

कि शीर्ष के अन्तर्गत मांग

‘सिंचाई, जलापूर्ति एवं सफाई’

की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाए।

1. श्री मुकेश अग्निहोत्री,
2. श्री हर्षवर्धन चौहान,
3. श्री जगत सिंह नेगी,
4. श्री अनिरुद्ध सिंह,
5. श्री आशीष बुटेल ।

1. सरकार की वर्तमान सिंचाई, जलापूर्ति एवं सफाई की नीति का अननुमोदन।
2. सरकार की वर्तमान शहरी जलापूर्ति कार्यक्रम की नीति का अननुमोदन।
3. सरकार की कूहलों, नलकूपों एवं हैंडपम्पों के रख-रखाव की नीति का अननुमोदन।
4. सरकार की बाढ़ नियन्त्रण, जल निकासी की नीति का अननुमोदन।

शिमला-171004.  
दिनांक 14.02.2019

सचिव,  
विधान सभा।

\*\*\*\*\*

# हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा

(कटौती प्रस्ताव)

बजट अनुमान 2019-20 की अनुदान मांगों

कटौती प्रस्ताव की सूचना

मांग संख्या: 15 - योजना एवं पिछड़ा क्षेत्र उप-योजना

सदस्य का नाम	कटौती प्रस्ताव	मांग संख्या:
--------------	----------------	--------------

नीति का अननुमोदन

15

कि शीर्ष के अन्तर्गत मांग

“योजना एवं पिछड़ा क्षेत्र उप-योजना”

की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाए।

1. श्रीमती आशा कुमारी,
2. श्री आशीष बुटेल ।

1. सरकार की पिछड़ा क्षेत्र हेतु धन आबंटन नीति का अननुमोदन।
2. पिछड़ी पंचायतों को सड़क से जोड़ने हेतु धनराशि उपलब्ध करवाने हेतु नीति का अननुमोदन।

शिमला-171004.  
दिनांक 14.02.2019

सचिव,  
विधान सभा।

\*\*\*\*\*

# हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा

(स्वीकृत कटौती प्रस्ताव)

बजट अनुमान 2019-20 की अनुदान मांगों  
कटौती प्रस्ताव की सूचना

**मांग संख्या: 16- वन और वन्य जीवन**

सदस्य का नाम	कटौती प्रस्ताव	मांग संख्या:
	<b>नीति का अननुमोदन</b> कि शीर्ष के अन्तर्गत मांग <b>“वन और वन्य जीवन”</b> की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाए।	<b>16</b>

1. श्री जगत सिंह नेगी,
2. श्री राम लाल ठाकुर,
3. श्री मुकेश अग्निहोत्री,
4. श्री अनिरुद्ध सिंह,
5. श्री लखविन्द्र सिंह राणा ।

1. सरकार की वर्तमान वन नीति का अननुमोदन।
2. सरकार की जंगली जानवरों से किसानों/बागवानों को निज़ात दिलवाने की नीति का अननुमोदन।
3. सरकार की पौध रोपण नीति का अननुमोदन।
4. सरकार की भू-जल संरक्षण नीति का अननुमोदन।

शिमला-171004.  
दिनांक 14.02.2019

सचिव,  
विधान सभा।

\*\*\*\*\*

# हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा

(स्वीकृत कटौती प्रस्ताव)

बजट अनुमान 2019-20 की अनुदान मांगों  
कटौती प्रस्ताव की सूचना

मांग संख्या: 18- उद्योग, खनिज, आपूर्ति एवं सूचना प्रौद्योगिकी

सदस्य का नाम	कटौती प्रस्ताव	मांग संख्या:
	<b>नीति का अननुमोदन</b>	<b>18</b>
	कि शीर्ष के अन्तर्गत मांग “उद्योग, खनिज, आपूर्ति एवं सूचना प्रौद्योगिकी” की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाए।	

श्री अनिरुद्ध सिंह ।

1. सरकार की वर्तमान उद्योग नीति का अननुमोदन ।
2. सरकार की रेशम उत्पादन नीति का अननुमोदन ।
3. सरकार की लघु उद्योग स्थापित करने की नीति का अननुमोदन ।

शिमला-171004.  
दिनांक 14.02.2019

सचिव,  
विधान सभा ।

\*\*\*\*\*



# हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा

(स्वीकृत कटौती प्रस्ताव)

बजट अनुमान 2019-20 की अनुदान मांगों  
कटौती प्रस्ताव की सूचना

## मांग संख्या: 23- विद्युत विकास

सदस्य का नाम	कटौती प्रस्ताव	मांग संख्या:
	<u>नीति का अननुमोदन</u> कि शीर्ष के अन्तर्गत मांग ‘विद्युत विकास’ की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाए।	23

1. श्री राकेश सिंघा,
2. श्री अनिरुद्ध सिंह ।

1. सरकार की वर्तमान विद्युत विकास नीति का अननुमोदन ।
2. सरकार की वर्तमान में प्रदेश की जल विद्युत तथा सौर ऊर्जा क्षमता के दोहन की नीति का अननुमोदन ।

शिमला-171004.  
दिनांक 14.02.2019

सचिव,  
विधान सभा ।

\*\*\*\*\*

# हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा

(स्वीकृत कटौती प्रस्ताव)

बजट अनुमान 2019-20 की अनुदान मांगें  
कटौती प्रस्ताव की सूचना

मांग संख्या: 26 - पर्यटन और नागर विमानन

सदस्य का नाम	कटौती प्रस्ताव	मांग संख्या:
--------------	----------------	--------------

	<u>नीति का अननुमोदन</u>	26
--	-------------------------	----

कि शीर्ष के अन्तर्गत मांग

“पर्यटन और नागर विमानन”

की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाए।

1. श्री राम लाल ठाकुर,
2. श्रीमती आशा कुमारी,
3. श्री मुकेश अग्निहोत्री,
4. श्री सुन्दर सिंह ठाकुर,
5. श्री अनिरुद्ध सिंह,
6. श्री राकेश सिंघा।

1. सरकार की वर्तमान पर्यटन नीति का अननुमोदन।
2. सरकार की विमानपत्तन(एयरपोर्ट) के निर्माण व हेली टैक्सी सेवा नीति का अननुमोदन।
3. सरकार की रज्जु मार्गों के निर्माण की नीति का अननुमोदन।

शिमला-171004.

दिनांक 14.02.2019

सचिव,  
विधान सभा।

# हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा

(स्वीकृत कटौती प्रस्ताव)

बजट अनुमान 2019-20 की अनुदान मांगों  
कटौती प्रस्ताव की सूचना

मांग संख्या: 30 - विविध सामान्य सेवाएं

सदस्य का नाम	कटौती प्रस्ताव	मांग संख्या:
--------------	----------------	--------------

नीति का अननुमोदन

30

कि शीर्ष के अन्तर्गत मांग

‘विविध सामान्य सेवाएं’ की राशि घटाकर एक  
रूपया कर दी जाए।

1. श्री राम लाल ठाकुर,
2. श्रीमती आशा कुमारी,
3. श्री मुकेश अग्निहोत्री,
4. श्री अनिरुद्ध सिंह,
5. श्री राकेश सिंघा ।

1. सरकार की खेलकूद तथा युवा सेवाओं में खेलों की नीति का अननुमोदन।
2. सरकार की वर्तमान खेल सामग्री क्रय करने की नीति का अननुमोदन।
3. सरकार की भाषा, कला एवं संस्कृति को बढ़ावा देने तथा मन्दिरों के रख-रखाव की नीति का अननुमोदन।

शिमला-171004.  
दिनांक 14.02.2019

सचिव,  
विधान सभा ।

# हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा

(स्वीकृत कटौती प्रस्ताव)

बजट अनुमान 2019-20 की अनुदान मांगों  
कटौती प्रस्ताव की सूचना

## मांग संख्या: 31 - जनजातीय विकास

सदस्य का नाम	कटौती प्रस्ताव	मांग संख्या:
	<u>नीति का अननुमोदन</u>	31
	कि शीर्ष के अन्तर्गत मांग “जनजातीय विकास” की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाए।	

1. श्री जगत सिंह नेगी,
2. श्रीमती आशा कुमारी,
3. श्री मुकेश अग्निहोत्री,
4. श्री आशीष बुटेल ।

1. सरकार की जनजातीय विकास के कल्याण हेतु नीति का अननुमोदन।
2. सरकार की भवनों के रख-रखाव की नीति का अननुमोदन।
3. सरकार की जनजातीय क्षेत्रों के अन्तर्गत छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास हेतु नीति का अननुमोदन।

शिमला-171004.  
दिनांक 14.02.2019

सचिव,  
विधान सभा।

# हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा

(स्वीकृत कटौती प्रस्ताव)

बजट अनुमान 2019-20 की अनुदान मांगें  
कटौती प्रस्ताव की सूचना

## मांग संख्या: 32 - अनुसूचित जाति उप-योजना

सदस्य का नाम	कटौती प्रस्ताव	मांग संख्या:
--------------	----------------	--------------

	<u>नीति का अननुमोदन</u>	32
--	-------------------------	----

कि शीर्ष के अन्तर्गत मांग  
“अनुसूचित जाति उप-योजना”  
की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाए।

1. डॉ०(कर्नल) धनी राम शांडिल,
2. श्री नन्द लाल,
3. श्री मोहन लाल ब्राक्टा,
4. श्री जगत सिंह नेगी,
5. श्री अनिरुद्ध सिंह ।

1. सरकार की वर्तमान कल्याण विभाग द्वारा गृह आबंटन की नीति का अननुमोदन।
2. सरकार की अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना में सामाजिक सुरक्षा पेंशन की नीति का अननुमोदन।

शिमला-171004.  
दिनांक 14.02.2019

सचिव,  
विधान सभा।